


तथ्यात्मक प्रतिवेदन
प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट शिफ्ट करने बाबत।

एन0एच0-76 सेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण हेतु कोटा जिले की 111.637 हैक्टर वनभूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ0सी0डिवीजन नई दिल्ली के पत्रांक F.No.8-3/2006-FC Date 06.07.2007 के द्वारा किया गया था। उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 5 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कोटा बाई पास के दोनों तरफ हरित पट्टी विकसित करने हेतु वृक्षारोपण किया जाना था। चूंकि ग्रीन बेल्ट विकास हेतु निर्देशित स्थल पथरीला व चट्टानी होने से वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं हो पाया। अब ग्रीन बेल्ट हेतु प्रस्तावित इसी क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी के विस्तार हेतु वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित किया गया जिस हेतु कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के पत्रांक 3788 दिनांक 19.12.2022 एवं उप वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 11555 दिनांक 20.12.2022 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट विकास स्थल के स्थान पर कोटा बाईपास के दक्षिण में 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर ढाडदेवी वनक्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा सकता है। जिससे अधोहस्ताक्षकर्ता सहमत है।


(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा